न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

रेफरेंस सं0 01/2009

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

1. लछमा देवी पत्नि रामजीलाल
2. भूरा देवी पत्नि रामकिशोर,
3. सरजो पत्नि कैलाश
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी सिण्डोली तहसील दौसा जिला दौसा
4. मांगीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली तहसील दौसा
5. सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली तहसील दौसा

.. अप्राथीगण

रैफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 3 व 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.7.2023

संक्षिप्त में रैफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा अप्रार्थी सोनीलाल के पक्ष में दिनांक 13.6.1989 को किये गये आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह रैफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

रैफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा रैफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. वाके ग्राम सिण्डोली में वर्ष 2030 से 2033 में खसरा नंबर 324 थे। उपखंड अधिकारी दौसा ने दिनांक 13.6.1989 को भूमि खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. भूमि में मांगीलाल पुत्र भोंरी लाल जाति नाई दौसा निवासी सिण्डोली तहसील दौसा को आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 13.6.1989 को कर दी। मौके पर आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1989 की पालना में भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरण सं0 84 दिनांक 8.10.1989 को सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई के नाम स्वीकार हुआ। उक्त आवंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. गैर खातेदारी से खातेदारी में नामान्तरण सं0 377 दिनांक 14.12.2001 को दर्ज हुई। उक्त खातेदारी के पश्चात दिनांक 13.1.2006 के खातेदार सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. भूमि का बेचान अवैध विक्रय पत्र द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से 3 को किया गया है। आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1989 के आवंटी मांगीलाल पुत्र भोंरीलाल का प्रकरण सं0 86/89 उनवानी हनुमान बनाम धन्नी वगै0 में आराजी खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. का आवंटन जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 10.8.1993 को कर दिया गया। विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. भूमि का आवंटन मांगीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली तहसील दौसा को हुआ और उक्त भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरण बिना किसी आदेश के सोनीलाल पुत्र मांगीलाल के नाम खोला गया है इसलिए उक्त आवंटन निरस्त योग्य

.....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

है। खसरा नंबर 1457 रकबा 0.07है. खसरा नंबर 1459 रकबा 0.07है. खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. के साबिक खसरा नंबर 324 रकबा 03 बीघा 5 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है जो जरिये नामान्तरण सं0 244 दिनांक 18.4.1977 से चरागाह में तब्दील हो चुकी है। इसके पश्चात उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. का आवंटन अप्रार्थीगण को दिनांक 13.6.1989 को किया गया है। चरागाह भूमि आवंटन योग्य नहीं होने से उक्त आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1989 निरस्त योग्य है तथा इस कारण उक्तानुसार आराजीयात का नामान्तरण सं0 84 दिनांक 8.10.1989 भी निरस्त योग्य है। उक्त आवंटित भूमि खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है0 के समीप खसरा नंबर 1457 रकबा 0.07है. गै0मु0 बावडी स्थित है तथा नक्शा शीट व मौके पर मिलान करने पर पाया कि खसरा नंबर 1456 रकबा 0.38है. का रकबा नक्शा शीट में अधिक होना प्रतीत होता है, बावडी के दक्षिण में नक्शें अनुसार खसरा नंबर 1459 में पश्चिम की ओर लगभग 0.20है. भूमि पर मंदिर सार्वजनिक उपभोग का पक्का निर्माण किया हुआ है तथा खसरा नंबर 1459 के निकटतम खसरा नंबर 1456, 1457 सार्वजनिक उपयोग में काम आ रहे है। मंदिर के निर्माण को पटवारी मौका रिपोर्ट पेश है। उक्त भूमि के संबंध में गैर खातेदारी का नामान्तरण बिना किसी आदेश के दर्ज किया गया है जो प्रारंभ से ही शून्य एवं प्रभावहीन होने से निरस्त योग्य है एवं राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ विचाराधीन कार्यवाही भी निरस्नीय है। अतः रैफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 13.6.1989 को किया गया आवंटन आदेश व नामान्तरण सं0 377 दिनांक 14.12.2001 व विक्रय पत्र दिनांक 13.1.2006 नामान्तरण सं0 523 दिनांक 10.4.2006 को निरस्त फरमावे व वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में चरागाह भूमि वापसी दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 3 व 5 की ओर से बहस में दलील दी कि खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. ग्राम सिण्डोली के संवत 2030 से 2033 में खसरा नंबर 324 था। पटवारी हल्का सिण्डोली ने बिना किसी आदेश के खसरा नंबर 324 व अन्य नंबर जो सिवाय चक थे, का गलत तरीके से सिवायचक से चरागाह का नामान्तरण सं0 244 ग्राम सिण्डोली भरकर और फर्जी तरीके से उक्त नामान्तरण को दिनांक 18.9.1977 को ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया। अप्रार्थीगण को पटवारी हल्का द्वारा एवं ग्राम पंचायत द्वारा किये गये फर्जीवाडे की एवं गलत कार्य की जानकारी होते ही उक्त नामान्तरण सं0 244 ग्राम सिण्डोली पर पारित आदेश दिनांक 18.9.1977 के विरूद्ध एक अपील मु0नं0 4/2010 उनवानी लछमा देवही बनाम ग्राम पंचायत सिण्डोली की उपखंड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर उपखंड अधिकारी दौसा ने उक्त अपील को दिनांक 18.4.2011 को मंजूर करके और नामान्तरण सं0 244 ग्राम सिण्डोली पर पारित निर्णय दिनांक 18.9.1977 को निरस्त किया और प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमांड किया। उक्त रिमांड प्रकरण तहसीलदार दौसा के समक्ष विचाराधीन है। खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. वाके ग्राम सिण्डोली का दिनांक 13.6.1989 को सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली को आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया। सहवन से सोनीलाल नाई के प्रार्थना पत्र में मांगीलाल अंकित कर दिया गया था जिसे प्रोसिडिंग रजिस्टर के क्रम सं0 22 पर काटकर शुद्ध करते हुए सोनीलाल अंकित किया गया। मांगीलाल को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है बल्कि सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल नाई को भूमि आवंटित कर कब्जा संभलाया गया है। आवंटन के वक्त से ही उक्त भूमि पर सोनीलाल का कब्जा था। ग्राम सिण्डोली में मांगीलाल पुत्र भोंरीलाल नाई नाम का कोई व्यक्ति नहीं था ना ही कभी रहा है। खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. का आवंटन सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली को आवंटित कर कब्जा संभलाया गया था। फर्जी तरीके से हनुमान पुत्र प्रभात्या जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी सिण्डोली ने सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल व अन्य को पक्षकार

.....निरन्तर 3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

बनाये बिना किसी मांगीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली को पक्षकार बनाकर और एक प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 उनवानी हनुमान बनाम धन्नी वगै0. का जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उक्त मांगीलाल के सम्मनों पर यह रिपोर्ट आ जाने के बाद की इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी विधि विरूद्ध तरीके से जिला कलक्टर दौसा ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके और सोनीलाल पुत्र भोरीलाल नाई निवासी सिण्डोली को वाके ग्राम सिण्डोली में स्थित खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. के दिनांक 13.6.1989 को किये गये आवंटन को दिनांक 10.8.1993 को निरस्त कर दिया जिसकी जानकारी होते ही उक्त की अपील नंबर 92/2008 उनवानी सोनीलाल बनाम हनुमान की भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा ने उक्त अपील को दिनांक 14.7.2009 को स्वीकार करके जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 10.8.1993 को निरस्त कर दिया व उक्त सोनीलाल को किया गया आवंटन दिनांक 13.6.1989 को बहाल रखा गया। नामान्तरण सं. 244 दिनांक 18.9.1977 बिना आदेश कानून के विपरीत तरीके से तस्दीक किया गया था जिसे उपखंड अधिकारी दौसा ने निरस्त कर दिया है। ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. का विधिवत आवंटन सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली को दिनांक 13.6.1989 को करके उक्त सोनीलाल को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था। सोनीलाल के नाम उक्त आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरण तस्दीक किया गया। सोनीलाल के द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने पर विधिवत रूप से सोनीलाल को भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। सोनीलाल उक्त भूमि का खातेदार व काबित काश्तकार था। सोनीलाल के द्वारा अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 1459 रकबा 0.60है. का विक्रय पत्र दिनांक 13.1.2006 को अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम तस्दीक करा कर मौके पर कब्जा करवा दिया। अप्रार्थी सं0 1 से 3 उक्त भूमि की खातेदार व काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी सं0 1 से 3 को विक्रय करने से पूर्व उक्त भूमि पर कब्जा सोनीलाल का था और सोनीलाल के विक्रय करने के बाद उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 से 3 का कब्जा है है। भूमि आवंटन के वक्त सिवायचक भूमि थी जिसका विधिवत रूप से आवंटन किया गया था। उक्त भूमि सोनीलाल के आवंटन प्रार्थना पत्र पर गलती से मांगीलाल अंकित कर दिया जिसे प्रोसिडिंग रजिस्टर के क्रम सं0 22 पर काटकर शुद्ध करते हुए सोनीलाल अंकित कर दिया। भूमि खसरा नंबर 1459 के सैटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 324 थे। खसरा नंबर 324 भी सिवायचक भूमि थी। हल्का पटवारी ने बिना किसी आदेश के उक्त खसरा नंबर 324 व अन्य भूमि का गलत तरीके से सिवायचक के स्थान पर चरागाह का नामान्तरण सं0 244 भरकर और उक्त नामान्तरण को दिनांक 18.9.1977 का ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया जो कानूनन गलत था। ग्राम सिण्डोली में स्थित सैटलमेट पूर्व खसरा नंबर 323 रकबा 6 बिस्वा की खातेदारी संवत 2030 लगा0 2036 में गै0मु0 चाह तलाई के रूप में उक्त सैटलमेंट पूर्व खसरा नंबर 323 का रकबा 6 बिस्वा था। सैटलमेंट विभाग को रकबा बढाने व घटाने का कोई अधिकार नहीं है। सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 323 रकबा 6 बिस्वा से नये खसरा नंबर 1456 बनाये गये है। सैटलमेंट पूर्व खसरा नंबर 323 का रकबा 6 बिस्वा था। सैटमेंट विभाग को खसरा नंबर 323 से बनने वाले नये खसरा नंबर 1456 का रकबा लगभग 8 एयर ही दर्ज करना चाहिए था, किन्तु सैटलमेंट विभाग ने गलत तरीके से खसरा नंबर 1456 का रकबा 0.38है. दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत है और खसरा नंबर 1456 का रकबा 0.38है. के स्थान पर 0.08है. दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसके लिए अप्रार्थीगण ने पृथक से एक प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का उपखंड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थी तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर,दौसा

.....निरन्तर 4 पर

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भू आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 13.6.1989 को कैंप सिण्डोली में आवंटी मांगीलाल पुत्र भोंरीलाल जाति नाई निवासी सिण्डोली को ग्राम सिण्डोली के खसरा नंबर 1459 में से 0.60है. भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन आवेदन पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल के नाम से भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया था किन्तु आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा मांगीलाल पुत्र भोंरीलाल नाई के नाम से भूमि आवंटित कर दी जिसे कार्यवाही विवरण रजिस्टर में सोनीलाल पुत्र भोंरीलाल नाई दुरूस्त कर दिया गया। पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.8.1993 उनवानी हनुमान बनाम धन्नी वगै0 प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) के द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन दिनांक 13.6.1989 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 10.8.1993 को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में उनवानी सोनीलाल बनाम हनुमान वगै0 के नाम से चुनौती दी गई, जिसमें माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 14.7.2009 के द्वारा जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 10.8. 1993 को अपास्त कर दिया गया। आवंटी सोनीलाल नाई के द्वारा प्रश्नगत भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 13.1.2006 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से 3 के पक्ष में पंजीबद्ध करवा दिया गया है। अप्रार्थी सं0 1 से 3 के द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा में नामान्तरण सं0 244 ग्राम सिण्डोली पर पारित आदेश दिनांक 18.9.1977 को चुनौती दी गई जिस पर न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 18.4.2011 पारित कर प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण सं0 244 ग्राम सिण्डोली पर पारित निर्णय दिनांक 18.9.1977 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दौसा को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त नामान्तरण के निर्णय होने से पूर्व रैफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। हम तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज किया जाता है। तहसीलदार दौसा को निर्देश दिये जाते है कि उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा तहसीलदार दौसा को जो प्रकरण रिमांड जो कि तहसीलदार दौसा के यहॉ विचाराधीन है, का तीन माह में आवश्यक रूप से निर्णय पारित कर निर्णय उपरांत आवश्यक होने पर रैफरेन्स प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार दौसा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 जुलाई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा